

फर्द अहकाम

बनाम

मालय - उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ

ख्या 17/2023

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/06/23	<p>पुसाडींग ऑफिसीर दारे / सुवकुमश एर हे अतः कार्यवाही हेतु दिनांक 25/7/23 को पेश हो</p>	
	25/7/23	<p>पुसाडींग ऑफिसीर दारे / सुवकुमश एर हे अतः कार्यवाही हेतु दिनांक 20/8/23 को पेश हो</p>	
	20/8/23	<p>पुसाडींग ऑफिसीर दारे / सुवकुमश एर हे अतः कार्यवाही हेतु दिनांक 21/02/24 को पेश हो</p>	
	21/08/23	<p>पुसाडींग ऑफिसीर दारे / सुवकुमश एर हे अतः कार्यवाही हेतु दिनांक 7/11/23 को पेश हो</p>	
	07/11/25	<p>पतावली पेश हुई। उम्मीदवादी ने डा. पत बाबर धारणा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विज्ञे किये जाने का पेश कर कर को विज्ञे करने का निषेदन किया। उम्मीद अस्थाई निषेधाज्ञा में कोई कार्यवाही नहीं चलाना। अतः उम्मीद का डा. पत बाबर अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर विज्ञे करने की अनुमति</p>	

फर्द अहकाम
बनाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>दी जाती है एवं इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल मुफ़ार होकर रज गव्वर से कम हो तथा साखिल इफ़तर हो।</p> <p><i>Peshore</i> उपखण्ड अधिकारी चौमूँ (जयपुर)</p>

दीर 81
02/11/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023

बालूराम

बनाम

बाबूलाल

प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मान्यवर,

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्र

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे आज की नियत है।

2. यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा एक वाद सं. 18

प्रार्थना पत्र सं. 17/2023 श्रीमान न्यायालय

उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में श्री

पारित किया गया था परंतु प्रार्थी/वादी

पत्र में कोई कार्यवाही नहीं करना चा

निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं. 17/2023 क

है।

अतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रा

है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत उ

निषेधाज्ञा सं. 17/2023 को जरिये

फरमाने की कृपा करे।

दिनांक 7.11.23-

स्थान: चौमूँ

बालूराम
ब्राह्मण,
जयपुर

Throghly An